राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 772/2024

दिलराज मीणा —अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. शासन सचिव, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
2. आयुक्त, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।
3. निदेशक (प्रशिक्षण), कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 26.02.2024
आदेश की दिनांक :

<u>उपस्थित –</u>
अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मेन्द्र जैन, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ अनुदेशक के पद पर दिनांक 01.06.2022 (अनुलग्नक–2) को हुई थी। आदेश दिनांक 29.08.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर, भीलवाड़ा से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अन्ता, बारां में किया गया। अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ अनुदेशक के पद पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अन्ता, बारां में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अन्ता, बारां से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बायूत, जिला बाड़मेर में 650 कि.मी. दूर बिना किसी प्रशासनिक

आवश्यकता के किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण परिवीक्षाकाल में किया गया है, जो राजस्थान स्थानान्तरण नीति का उल्लंघन है। अपीलार्थी एक अल्पवेतन भोगी कर्मचारी है। अपीलार्थी का पुत्र अध्ययनरत है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 01.06.2022 के द्वारा रायपुर, जिला भीलवाड़ा में की गई, इसके पश्चात् आदेश दिनांक 29.08.2022 के द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर, भीलवाड़ा से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अन्ता, बारां में किया गया। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण परिवीक्षाकाल में ही पूर्वादेश दिनांक 29.08.2022 के द्वारा किया गया, जहां पर अपीलार्थी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का स्थानान्तरण पुनः आदेश दिनांक 20.02.2024 द्वारा किया गया है, जो प्रशासनिक कारणों से किया गया है। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

5. अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का 650 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य (डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276)** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :-

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

7. आदेश आज दिनांक .... को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)